

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर
पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या 26/2017

श्री शिवप्रसाद पुत्र श्री दाउदयाल जोशी, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम छोटा लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर

.....प्रार्थी/गैर निगरानी कर्ता

बनाम

ग्राम पंचायत छोटा लाम्बा जरिये उसके सचिव

.....अप्रार्थी/निगरानीकर्ता

अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :-

श्री वसन्त विजयवर्गीय वकील प्रार्थी/गैर निरानीकार की ओर से।

—: आदेश :-

दिनांक - 10.11.2017

संक्षेप में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी श्री शिवप्रसाद पुत्र श्री दाउदयाल जोशी, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम छोटा लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर के पक्ष में तत्कालीन प्रशासक श्री धन्नालाल जोशी ग्राम पंचायत छोटा लाम्बा व प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय छोटा लाम्बा द्वारा ग्राम छोटा लाम्बा के आराजी खसरा नंबर 1865/2 में से अरांई, सरवाड़, कोटा रोड़ पर 11859 वर्गगज भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 10 दिनांक 13.05.1993 जारी किया गया। तत्पश्चात ग्राम पंचायत छोटा लाम्बा के प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 05.11.2003 से उक्त पट्टे का नियमितीकरण कर दिया गया। ग्राम पंचायत छोटा लाम्बा जरिये सचिव द्वारा उक्त पट्टे को विभिन्न कारणों से विधि विरुद्ध बताते हुए आक्षेपीय पट्टा एवं उसके नियमितीकरण को निरस्त करवाने हेतु एक निगरानी याचिका श्रीमान जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिला कलक्टर अजमेर से निगरानी इस न्यायालय में अन्तरित होकर प्राप्त होने पर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 25.05.2017 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर आक्षेपीय पट्टा निरस्त किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी के नाम नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए किन्तु जवाब नोटिस पेश नहीं किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। वरवक्त बहस अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश रेकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य जवाब व विधि तथा विधि के आदेशात्मक प्रावधानों के प्रतिकूल होने तथा अभिलेख पर दिखाई दिये जाने वाली प्रत्यक्ष त्रुटियों जो तात्त्विक तथ्य की अज्ञानतावश व विधि तथा तथ्य की भूल के आधार पर पारित होने से पुनर्विलोकन कर निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन



अपर कलक्टर
अजमेर

है कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अधीनस्थ न्यायालय के रेकॉर्ड का विधिवत अवलोकन किये बिना निगरानी में आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में क्या अविधिकता रही है, उसे निस्तारित करने का अधिकार न्यायालय को है जब अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड स्वयं अप्रार्थी द्वारा जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में रेकॉर्ड के अवलोकन बिना पारित आदेश निरस्तनीय है। लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों के मध्य विवाद को आपसी सहमति से अथवा सुनकर विधिवत ढंग से निस्तारण किया जाना चाहिये। माननीय न्यायालय के आदेश के अवलोकन से यह प्रत्यक्ष त्रुटि नजर आती है कि केवल मात्र लोक अदालत अभियान के आंकड़ों की पूर्ति के लिये बिना विधिक प्रक्रिया के मनमाने ढंग से जल्दबाजी में आदेश पारित किया गया है जिसमें प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली कई त्रुटियां हैं जिसमें एक अप्रार्थी को नहीं सुना जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होना भी प्रकट है। वकील प्रार्थी ने आगे कथन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी ने अपने जवाब के साथ विभिन्न दस्तावेज इस आशय के प्रस्तुत किये हैं कि वर्ष 1989 से 1993 के मध्य विवादित खसरा नंबर में से 20-25 व्यक्तियों को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये गये हैं जिनके आदेशों की प्रतियां एनेक्सर 3, 4, 6 व 7 प्रस्तुत किये गये हैं जिनके सम्बन्ध में कोई उल्लेख आदेश में नहीं किया गया है। इस प्रकार माननीय न्यायालय का आदेश विधि के समक्ष समानता के दोष से ग्रसित है जबकि उक्त कार्यवाही केवल राजनीतिक द्वेषता के आधार पर की गई है। जिसकी विधिवत जांच नहीं की गई है जो अभिलेख पर दिखाई दिये जाने वाली प्रत्यक्ष त्रुटि है क्योंकि उक्त दस्तावेजों को माननीय न्यायालय ने विचारित ही नहीं किया है। उनका यह भी कथन है कि माननीय न्यायालय के समक्ष यह तथ्य विचाराधीन थे कि सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दीवानी वाद संख्या 146/2004 जो दिनांक 04.03.2008 को डिक्री किया गया जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई तथा जिसकी अभिलेख पर प्रतियां प्रस्तुत की गई थी, जिसमें स्वयं जिला कलक्टर व ग्राम पंचायत के विरुद्ध वाद डिक्री किया गया था। ऐसी परिस्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री के परिपेक्ष्य में विचार किया जाता तो माननीय न्यायालय को उक्त आदेश पारित करने की अधिकारिता का प्रश्न भी उत्पन्न होता एवं आक्षेपीय आदेश जिस प्रकार पारित किया गया वह पारित नहीं किया जा सकता था, इसलिये भी तथ्य छिपाकर तथा प्रस्तुत दस्तावेजों को नजरअंदाज कर जो आदेश पारित करवाया गया है वह अभिलेख पर दिखाई दिये जाने वाली प्रत्यक्ष त्रुटि है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि माननीय न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया है कि वर्ष 1989 से 1993 तक कार्यवाही कर जारी किये गये पट्टे जिसका पुनर्नियमितीकरण वर्ष 2003 में ग्राम पंचायत द्वारा किया गया तथा जिसके अनुसरण में पट्टा विलेख दिनांक 16.03.2004 को पंजीकृत करवाया गया। उन्होंने कथन किया कि सिविल न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया गया उक्त वाद में विवाद बिन्दु संख्या 2 कि "आया वादी द्वारा उक्त भूखण्ड दुर्भिसन्धि कर विक्रय करने के कारण वाद निरस्त योग्य है।" इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी ग्राम पंचायत पर था जिनके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किये गये, इस कारण विक्रय दुर्भिसन्धि के आधार पर होने के कारण प्रमाणित नहीं हुए। ऐसी परिस्थिति में पुनः उन्ही तथ्यों के आधार पर बिना दस्तावेज प्रस्तुत किये माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, वह सिविल न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल व अभिलेख पर दिखाई दिये जाने वाली प्रत्यक्ष त्रुटि है। ग्राम पंचायत अपने कृत्य से विबन्धित होने के कारण उसे यह याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था तथा



शंभर कलक्टर
जयप्रिय

कथित याचिका 20 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है जो असामान्य विलम्ब है तथा सिविल न्यायालय के निर्णय एवं डिक्ली के विरुद्ध भी कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी परिस्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में विवेचित नहीं किया गया है। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह पूर्णतः विरोधाभासी है। एक ओर तो न्यायालय ने आक्षेपीय पट्टा निरस्त करने के आदेश पारित किये हैं तथा दूसरी ओर आक्षेपीय पट्टे के पंजीयन निरस्तीकरण हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं। उक्त आदेश विरोधाभासी एवं क्षेत्राधिकार से बाहर होने से पुनर्विलोकन योग्य है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत ने निगरानी के पश्चात भी वास्तविक तथ्य छिपाने की बदनीयति से ग्राम पंचायत का अभिलेख विवादित भूमि से सम्बन्धित तथ्य छिपाने व अन्य व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की बदनीयति से प्रस्तुत नहीं किया है। इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 166 के अनुसार पंचायत द्वारा पारित आदेश की अपील का प्रावधान धारा 61 में किया हुआ है जिसके अन्तर्गत निर्धारित समय पर अपील प्रस्तुत की जा सकती थी, परन्तु ऐसी कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः 20 वर्ष पश्चात उक्त निगरानी किसी भी आधार पर पोषणीय नहीं है। विधिनुसार प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर सभी विधिक स्थितियों पर विचार करते हुए निगरानी की पुनः सुनवाई की जावे। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 29/2016 उनवान ग्राम पंचायत छोटा लाम्बा बनाम शिवप्रसाद में पारित आदेश दिनांक 25.05.2017 को निरस्त करते हुए निगरानी को पुनः सुनवाई किया जाकर निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

हमने वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा निगरानी याचिका में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में प्राविधित नियमों के अन्तर्गत पूर्ण परीक्षण पश्चात आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। प्रार्थी का यह कथन कि न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं बिना विधिक प्रक्रिया के मनमाने ढंग से जल्दबाजी में आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी का उक्त कथन कतई गलत है, न्यायालय द्वारा उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। निगरानी याचिका दिनांक 19.04.2012 को प्रस्तुत की गई थी तथा दिनांक 31.05.2012 को अप्रार्थी जरिये वकील उपस्थित हुए तथा प्रारंभिक कथन मय कतिपय दस्तावेज पेश किये। इसके पश्चात लगभग 5 वर्ष तक सुनवाई का अवसर दिये जाने के बावजूद उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके अतिरिक्त वरवक्त बहस न तो प्रार्थी न ही उनके अभिभाषक उपस्थित हुए। प्रार्थी द्वारा अब पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के माध्यम से आक्षेपीय आदेश में विभिन्न त्रुटियां होने बावत कथन करना न्याय संगत नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय का वांछित रेकॉर्ड का अभाव, सिविल न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी डिक्ली, अन्य व्यक्तियों के पक्ष में जारी पट्टों के विरुद्ध ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करना, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 166 के अनुसार आक्षेपीय पट्टे को धारा 61 के तहत अपील के माध्यम से चुनौती देना, पट्टे के पंजीयन निरस्तीकरण हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के आदेश दिये जाना, इत्यादि त्रुटियां होना कथन किया गया है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी का स्वयं का दायित्व था कि वह आक्षेपीय आदेश पारित होने से पूर्व न्यायालय के समक्ष उपरोक्त कथन बावत अपना पक्ष प्रस्तुत करते। इसके




अपर क्लर्क
बदमेर

बावजूद अप्रार्थी के वरवक्त बहस अनुपरिथित रहने पर न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण रेकॉर्ड, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दस्तावेज का परीक्षण पश्चात पूर्ण विवेचना कर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। जहां तक मियाद का प्रश्न है, निगरानी प्रस्तुत करने में मियाद बाबत कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी पट्टे बाबत बाद परीक्षण निरस्त करने का अधिकार है। न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। पट्टे के पंजीयन को निरस्तीकरण का अधिकार इस न्यायालय में नीहित नहीं होने के कारण पृथक से कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं। पुनर्विलोकन का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है, ऐसे प्रार्थना पत्र के माध्यम से केवल ऐसी त्रुटि का परीक्षण किया जा सकता है, जो रेकॉर्ड पर प्रस्तुत होने से वंचित रह गई हो। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र द्वारा सम्पूर्ण आदेश का विवेचन किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी चाहे तो आक्षेपीय आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप निगरानी याचिका में पारित आदेश दिनांक 25.05.2017 न्यायोचित है, उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 10.11.2017 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।




(कैलाश-चन्द शर्मा)
(कैलाश चन्द शर्मा)
अपर क्लर्क, अजमेर